

37

प्रेषक,

जिन्नूरैन अहमद खाँ

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12

विषय-विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के सिविल कार्यों के 30 प्रतिशत सिविल कार्यों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग) लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-145/1-06/यू0पी0सी0आर0एन0डी0पी0/सी0ई0डब्लू0बी0/2013. दिनांक 02.09.2014 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-774/23-12-14-1179/13(आर), दिनांक 27.05.2014(छायाप्रति संलग्न) द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के सिविल कार्यों के 30 प्रतिशत कार्यों के चिन्हीकरण हेतु निम्नान्त अनुमोदन प्रदान किया गया था :-

| क्र० सं० | मार्ग का नाम                                       | मास्टर प्लान में ई०आई० आर०आर० के क्रम में क्रमांक | लम्बाई | वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई का विवरण     | प्रस्तावित चौड़ाई                        | उपरा के स्टेट हाईवे-डेव लेपमेंट प्रोग्राम में स्थिति | लो०नि०वि० के बजट से कार्य स्वीकृत है अथवा प्रगति में है, की स्थिति                                                   | अनुमानित लागत (रु० करोड़ में) | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | हमीरपुर-राठ-गुरसरावगंज मार्ग - एल०एच०-42 एल०एच०-42 | 11                                                |        | 31 कि०मी० से सिगल लेन (77 से 107 कि०मी०) | 2 लेन चौड़ाकरण                           |                                                      | मुख्य अभियन्ता जॉर्जी सेन द्वारा अवगत कराया गया है कि इस मार्ग पर कोई कार्य न तो स्वयंसेवक है और न ही प्रगति में है। |                               | मंजर कोरिडोर Strategic Core Network में क्रम संख्या 1,4,8 और एच०आई० आर० एडब्लू० से प्रस्तावित है। क्रम संख्या 2,3,5,6,9 में मार्ग 4 लेन के तिर प्रस्तावित है। क्रम सं० 7 में कार्य मध्य क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 13 कि०मी० में डबल लेन (84 से 76 कि०मी०)  | 2 लेन (केवल सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित) |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 3 कि०मी० में 1 लेन (61 से 63 कि०मी०)     | 2 लेन चौड़ाकरण                           |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 4 कि०मी० में 2 लेन (57 से 60 कि०मी०)     | 2 लेन (केवल सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित) |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 5 कि०मी० में 1 लेन (52 से 56 कि०मी०)     | 2 लेन चौड़ाकरण                           |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 17 कि०मी० में 2 लेन (55 से 51 कि०मी०)    | 2 लेन (केवल सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित) |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 26 कि०मी० में 1.5 लेन (8 से 33 कि०मी०)   | 2 लेन (केवल सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित) |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | एल०एच०-42                                          |                                                   |        | 6 कि०मी० में 2 लेन (12 से 7 कि०मी०)      | 2 लेन (केवल सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित) |                                                      |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                        |

Just

37

38

|    |                                                                          |    |                 |                                                    |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | गोला- साहजपुर<br>मार्ग एस0एच0-93                                         | 23 | 59<br>कि0मी0    | 2 लेन (0 से 59<br>कि0मी0)                          | 2 लेन (केवल<br>सुदृढीकरण कार्य<br>प्रस्तावित)    | फस 5 म<br>प्रस्तावित   | अधीक्षण<br>अभियन्ता,<br>सीतापुर-<br>लखीमपुर धृत<br>से दि0 19.05.<br>14 में दूरभाष<br>पर हुयी वार्ता के<br>अनुसार कुल<br>कि0मी0 में<br>नवीनीकरण का<br>कार्य कराया जा<br>रहा है।<br>यातायात के<br>अनुसार<br>सुदृढीकरण की<br>आवश्यकता<br>है। | 177.00  | क्र0सं0 12, 13, 17<br>.19 में कार्य स्टेट<br>फंड द्वारा किया<br>जा रहा है।<br>क्र0सं0<br>14, 15, 18, 20, 2<br>2 में 4 लेन की<br>आवश्यकता है।<br>क्र0 सं0- 16<br>ADB से<br>प्रस्तावित है,<br>क्र0 सं0 21<br>एस0आर0पी0-2<br>द्वारा मार्ग का<br>सुदृढीकरण हो<br>चुका है।            |
| 3. | उतरीला- फाजाद<br>मार्ग -<br>एस0एच0-9                                     | 36 | 59<br>कि0मी0    | 21 कि0मी0 में 1<br>लेन (39 से 59<br>कि0मी0)        | 2 लेन<br>चौड़ीकरण                                |                        | वर्तमान में मार्ग<br>की दशा बहुत<br>खराब है।                                                                                                                                                                                              | 177.00  | क्र0सं0 24 में<br>एस0आर0पी0-2<br>द्वारा कार्य हो<br>चुका है। क्र0सं0<br>25 में<br>इन्वियरमेन्टल<br>Issues क्र0सं0<br>26, 30, 34 में 4<br>लेन प्रस्तावित है।<br>क्र0सं0<br>28, 31, 35 स्टेट<br>बजट से प्रस्तावित<br>है। क्र0सं0 33<br>नेशनल हाइवे में<br>अपग्रेडिड हो चुकी<br>है। |
|    | एस0एच0-9                                                                 |    |                 | 38 कि0मी0 में 2<br>लेन (0 से 38<br>कि0मी0 )        | 2 लेन<br>(केवल<br>सुदृढीकरण कार्य<br>प्रस्तावित) |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | लिपुलेख-भिड़<br>मार्ग (फरुखाबाद<br>एवं गैनपुरी<br>जिले में)<br>एस0एच0-29 | 37 | 54<br>कि0मी0    | 2 लेन (524 से<br>577 कि0मी0)                       | 2 लेन<br>(केवल<br>सुदृढीकरण<br>कार्य प्रस्तावित) |                        | अधीक्षण<br>अभियन्ता श्री<br>डी0के0<br>श्रीवास्तव से<br>दूरभाष पर दि0<br>19.05.14 में<br>हुयी वार्ता के<br>अनुसार<br>सुदृढीकरण की<br>आवश्यकता<br>है।                                                                                       | 162.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | गुरसरायगंज- झांसी<br>मार्ग -<br>एस0एच0-42                                | 43 | 63<br>कि0मी0    | 25 कि0मी0 में<br>1.5 लेन<br>(146 से 170<br>कि0मी0) | 2 लेन<br>चौड़ीकरण                                | फस 5 में<br>प्रस्तावित | मुख्य अभियन्ता<br>झांसी क्षेत्र द्वारा<br>अवगत कराया<br>गया है कि इस<br>मार्ग पर कोई<br>कार्य न तो<br>स्वीकृत है और<br>न ही प्रगति में<br>है।                                                                                             | 189.00  | क्र0सं0 38 स्टेट<br>रोड में स्वीकृत<br>है। क्र0सं0<br>39, 41, 42<br>ADB से<br>प्रस्तावित है।<br>क्र0सं0 40 4<br>लेन की<br>आवश्यकता है।                                                                                                                                           |
|    | एस0एच0-42                                                                |    |                 | 27 कि0मी0 में 1<br>लेन (119 से<br>145 कि0मी0)      | 2 लेन<br>चौड़ीकरण                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | एस0एच0-42                                                                |    |                 | 11 कि0मी0 में<br>1.5 लेन (108 से<br>118 कि0मी0)    | 2 लेन चौड़ीकरण                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | बंदायू- यिल्सी<br>विजयनगर मार्ग<br>एस0एच0-51                             | 49 | 79.00<br>कि0मी0 | 2 लेन<br>(0 से 137.5<br>कि0मी0)                    | 2 लेन<br>(केवल<br>सुदृढीकरण कार्य<br>प्रस्तावित) |                        | मुख्य अभियन्ता,<br>बरेली क्षेत्र से<br>वार्ता के अनुसार<br>0.000 से<br>58.500 तक<br>सुदृढीकरण का<br>कार्य चल रहा<br>है। 137.5 से<br>164 राज्य<br>सड़क निधि<br>सुदृढीकरण<br>स्वीकृत -                                                      | 237.00  | क्र0सं0<br>44, 47, 48 स्टेट<br>बजट में स्वीकृत<br>है। क्र0सं0 45<br>एस0आर0पी0-2<br>में मार्ग का<br>सुदृढीकरण हो<br>चुका है। क्र0सं0<br>46 ADB से<br>प्रस्तावित है                                                                                                                |
| 7. | शारदा नदी पर सेतु<br>(मंचपेड़ीघाट<br>लखीम पुर खीरी)                      |    |                 |                                                    |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 400.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | कुल योग                                                                  |    | 477.50          |                                                    |                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 1657.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Full

for

15

39

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27.05.2014 के क्रम सं०-4 पर उल्लिखित कार्य लिपुलेख-भिड़ मार्ग (फर्रुखाबाद एवं मैनपुरी जिले में) एस०एच०-29 लम्बाई 54 किमी० व लागत रू० 162.00 करोड़ के स्थान पर बलरामपुर उत्तरीला मार्ग एस०एच०-26 लम्बाई 22 किमी० व लागत रू० 66.00 करोड़ के चिन्हीकरण हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। शासनादेश सं०-774/23-12-14-1179/13(आर), दिनांक 27.05.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)  
उप सचिव

संख्या- 1286 (1)/23-12-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक) लो०नि०वि० लखनऊ।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)  
उप सचिव

*for*

(Surendra Kumar)  
Chief Engineer  
Externally Aided Project  
PWD, UP, Lucknow

*for* (Surendra Kumar)  
Chief Engineer  
Externally Aided Project  
PWD, UP, Lucknow

*Ho*